न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 404/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–कमलादेवी पुत्री कुनाराम उर्फ कूनिया जाति मेघवाल निवासी गावं बिरावास तहसील बिलाडा हाल ग्राम घाणामगरा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2–भंवरीदेवी पुत्री कुनाराम उर्फ कूनिया जाति मेगवाल निवासी गांव बिरावास हाल कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1– खीयाराम पुत्र लाबुराम खोले स्व0 कुनाराम उर्फ कुनिया जाति मेगवाल निवासी ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2– समुदेवी पुत्री स्व0 कुनाराम उर्फ कुनिया जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीरावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल ग्राम रामडावास तहसील पीपाड शहर, जोधपुर 3– सरपंच ग्राम पंचायत पिचियाक, पंचायत समिति बिलाडा जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–7–2014 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 1/2014 अनवान कमलादेवी बनाम खीयाराम वगैरा मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री सुनिल पटेल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री प्रतीक रोहिवाल अधिवक्ता रेस्पो0गण संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 20–12–2017

इस अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा के समक्ष नामांतरकरण संख्या 192 एवं 193 दिनांक 6–12–76 ग्राम बिरावास के विरूद्ध इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि उक्त दोनो नामांतरकरणो मे वर्णित भूमि के सहखातेदार कुनिया पुत्र उम्मेद थे, जिनके फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि खीमाराम खोले कुनाराम (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) के पक्ष मे भरकर स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांटगण स्व0 सहखातेदार कुनिया पि0 उम्मेद की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान जीवित थी जिन्हे बिना सुने उनके पिता के खातेदारी की भूमि से उन्हे वंचित रखते हुए उक्त दोनो म्युटेशन स्वीकृत कर दिये, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2014 के द्वारा अपीलांटगण की उक्त दोनो अपीलो को आंशिक स्वीकार करते हुए ग्राम बिरावास के उक्त दोनो ही म्युटेशनो को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया कि वो वर्तमान रेकर्ड मे रेस्पो0 खीयाराम पुत्र लाबुराम खोले स्व0 कुनाराम उर्फ कुनिया जाति मेगवाल निवासी ग्रम बिरावास के नाम के साथ स्व0 कुनाराम की पुत्रियो के नाम जोडकर नामांतरकरण की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट एक माह मे प्रस्तुत करे । खीयाराम द्वारा आज दिनांक

से पूर्व किये गये बेचान, बक्शीश व दान इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे यानि क्रेताओ के नाम राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहेंगे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलांट के पक्ष मे आंशिक रूप से अपील तो स्वीकार कर ली परंतु अपीलाधीन निर्णय मे यह भी आदेश पारित कर दिया कि " श्री खीयाराम द्वारा आज दिनांक से पूर्व किये गये बेचान, बक्शीश व दान इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे यानि क्रेताओ के नाम राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहेंगे", इसप्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नही होते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नही होने से अपीलाधीन निर्णय मे से "श्री खीयाराम द्वारा आज दिनांक से पूर्व किये गये बेचान, बक्शीश व दान इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे यानि क्रेताओ के नाम राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहेंगे" के उल्लेख को हटाकर अपीलांटगण के पक्ष मे स्पष्ट आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधि एवं न्यायसगंत बताते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील विलंब से पेश की है तथा यह भी कथन किया कि अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे से अधिकांश भूमि का बेचान भी विभिन्न व्यक्तियो को जरिये पंजीबद्ध बेचान दस्तावेजो के किया जा चुका है तथा पंजीबद्ध बेचान के आधार पर क्रेतागणो के पक्ष मे म्युटेशन भी स्वीकृत हो चुके है ऐसे मे पंजीबद्ध बेचान को निरस्त करवाये बिना अपीलांटगण को म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये किसी प्रकार के कोई अधिकार हासिल नही हो सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी. 2006 पेज 192 की निर्णय नजीर पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकर्ड जमाबंदियां आदि का अवलोकन किया । रेकर्ड के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन भूमि मे से कुछ भूमि का बेचान हो जाने से बेचान के आधार पर क्रेतागणो के नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुके है, ऐसे मे बेचान के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे हुए इन्द्राजात को म्युटेशन की कार्यवाही के जरिये नही हटाया जा सकता है ।

अपीलांटगण जो कि मृत खातेदार कुनाराम उर्फ कूनिया की पुत्रियां एवं प्रथम श्रेणी की वारिस होने से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2014 के द्वारा अपीलांटगण की उक्त दोनो अपीलो को आंशिक स्वीकार करते हुए ग्राम बिरावास के उक्त दोनो ही

म्युटेशनो को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बिलाडा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया कि वो वर्तमान रेकर्ड मे रेस्पो0 खीयाराम पुत्र लाबुराम खोले स्व0 कुनाराम उर्फ कुनिया जाति मेगवाल निवासी ग्रम बिरावास के नाम के साथ स्व0 कुनाराम की पुत्रियो के नाम जोडकर नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश दिये है, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकर्ड के अवलोकन उपरांत अपीलाधीन निर्णय मे खीयाराम द्वारा आज दिनांक से पूर्व किये गये बेचान, बक्शीश व दान इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे यानि क्रेताओ के नाम राजस्व रेकर्ड मे यथावत रहेंगे,बाबत जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाडा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–7–2014 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर